


403



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प संभाग सागर

कैलाश नारायण तनय उमाशंकर पाठक, डिजा 3647-I/16
श्री राजनी अखिलेश्वर शर्मा 2502 वा
20/10/16 निवासी ग्राम टेहरका, तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़

.....आवेदक

वनाम
20-10-16

वनाम

- 1- म0प्र0 शासन द्वारा अनु0 अधि0 निवाड़ी, जिला टीकमगढ़
- 2- कुलदीप तनय ओ0 पी0 दुबे,

निवासी- ग्राम ढिमरपुरा, तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :-

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1- यह कि आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 13/अ6अ/2014-15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 01/09/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में है, तथा माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक के नाम से ग्राम उमरी, तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ में खसरा नंबर 355/1 रकवा 4,00 हैक्टेयर भूमि पर खनिज पत्थर को खनन करने का पट्टा है, जिसके आधार पर आवेदक उपरोक्त भूमि पर से पत्थर का खनन करता है, तथा खनन किये गये पत्थर की निर्धारित रॉयलटी शासन के पक्ष में जमा करता है।

3 यह कि राजनैतिक प्रभाव में आकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक कागजी दल गठित करके आवेदक की लीज की भूमि एवं अनावेदक

राजेन्द्र पट्टेरिया (एड.)
भारत रूम नं. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०-142, सतोरमा कॉलोनी, सागर
मो०-9425451002

3
RMS

राजेन्द्र पट्टेरिया (एड.)
9425451002

- 2 -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3647-एक/2016

जिला टीकमगढ़

कैलाश विरूद्ध शासन व कुलदीप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 13/अ6अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 01-09-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p style="text-align: center;">(आर.के. शर्मा) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">18/03/19</p>